"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, रविवार, दिनांक 18 फरवरी 2007—माघ 29, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2007 (माघ 29, 1928)

अधिसूचना

क्रमांक -2065/वि. स./ विधान/2007.— "सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में दायर याचिका एम सी सी 399/2006 (श्री निर्मल सिन्हा व अन्य बनाम श्री लालसाय खूंटे) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2006 को छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-38-मालखरौदा (अ. जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री लालसाय खूंटे के निर्वाचन को रद्द (सेट एसाइड) कर दिये जाने व श्री लालसाय खूंटे सदस्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल याचिका क्रमांक 4055/2006 पर उच्च न्यायालय के दिनांक 1 अगस्त, 2006 के उक्त आदेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी न किए जाने की दशा में ये (श्री लालसाय खूंटे) छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-38-मालखरौदा (अ. जा.) से सदस्य नहीं रहे. तद्नुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाए."

अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के आदेश से

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.